

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र. 1451-A / एफ-1-15/31/एस-2/2020,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 30/03/2020

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- दुर्ग जिले के विकासखण्ड- बालोद अन्तर्गत तांदुला की तांदुला मुख्य नहर के
कि.मी. 5-6 के मध्य व्ही.आर.बी. निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।
संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.- 13/बो.प्र./प्रशा.स्वी./2019/2832, दिनांक 04/03/2020

—00—

- राज्य शासन एतद् द्वारा दुर्ग जिले के विकासखण्ड- बालोद अन्तर्गत तांदुला परियोजना की तांदुला मुख्य नहर के कि.मी. 5-6 के मध्य व्ही.आर.बी. निर्माण कार्य हेतु लागत राशि रु.78.56 लाख (रुपये अठहत्तर लाख छप्पन हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।
- कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
 - छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
 - योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-45, लघु सिंचाई निर्माण कार्य लेखाशीर्ष- 4700 वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {05}, तांदुला परियोजना (800) अन्य व्यय, 0311 नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य), (5516) वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य(नाबार्ड), #26 वृहद निर्माण कार्य, 005 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
 - छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश 50/2011 अनुसार योजना पर माननीय मंत्री जी से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है।
 - योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
 - निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
 - संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(याकुब खैर)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

पृ. क्र. 1451-B / एफ-1-15/31/एस-2/2020,
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, दिनांक 30/03/2020

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 4 अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 5 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 8 कलेक्टर, जिला-बालोद (छ.ग.)।
- 9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
- 10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
- 11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
- 12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, सिहावा भवन परिसर, जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)।
- 13 अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन शिवनाथ मण्डल, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)।
- 14 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद, जिला- बालोद (छ.ग.)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 15 आदेश फोल्डर।


संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग